आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

शस्त्र अपील वाद संख्या–58/2016

राजीव कुमार उर्फ राजीव यादव, पिता–श्री पुन्यदेव चौधरी।

बनाम्

बिहार सरकार।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्त्ता की तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज कुमार एवं श्री संजय कुमार।

सरकार के तरफ से :– विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
15.11.2024 **20.11.2024**	**प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं०–01 / 2014 में दिनांक–01.12.2015 को पारित आदेश** के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा इस स्तर पर दायर किया गया है। **अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।** **अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा** प्रारंभिक बहस में ही यह निवेदन किया गया कि चूँकि अपीलकर्त्ता राजीव कुमार उर्फ राजीव यादव के विरूद्ध न्यायालय गोपालगंज द्वारा **सत्रवाद संख्या–765/16** राज्य बनाम् राजीव कुमार उर्फ राजीव यादव मे दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश द्वारा अपीलकर्त्ता बरी हो गये है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता द्वारा इस वाद को Pursue करने में कोई अभिरूचि नहीं है। उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उन्हें वाद वापस लेने की अनुमति दी जाए। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा कि उनके द्वारा इस आशय का आवेदन भी दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा भी अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के बातों का समर्थन किया गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा प्रस्तुत Submissions एवं दिये गये आवेदन पर विचार करते हुए इस न्यायालय को अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः इस वाद को **"Dismissed as withdrawn"** के साथ **निस्तार** किया जाता है। ***आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।*** लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL